न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–127 / 2023
जीसीएमएस नं. :–2023 / 371

1. कैलाश कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3. मन्जु कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
5. सरोज कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित–

1. मनोहर लाल एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. मूलाराम जागू एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक :– 13/03/26

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 0वाके चक 35 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.–55 / 59 का पत्थर सं.–339 / 417 के किला नं.–11 / 2 से 25 की कल 5.755 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर सं.–339 / 421 मु.नं.–28 के किला नं.–1 ता 25 की कुल 6.315 हैक्टर कमाण्ड कुल 12.080 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबन्दीं की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस मे सगे भाई बहन है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार उक्त सयुक्तं खाता की भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक अधिकार एवं अधिपत्य है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1 / 6 हिस्सा व आप्रार्थी सं.–1 का 1 / 3 हिस्सा है तथा प्राथीगण व अप्रा्र्थी सं.–1 उपरोक्तानुसार व सुविधानुसार अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त होकर उसका निरंतर उपयोग एव उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1 / 6 हिस्सा व अप्रार्थी सं.–[illegible]3 हिस्सा सयूक्तं रूप से दर्ज है और अब पिछले कई समय हमारे बीच [illegible] भूमि की काश्त, सिंचाई व उसका उपयोग, उपभोग करने में तथा अप[illegible]ने हिस्सा अनुसार राजस्व कर व सिंचाई कर अदा करने मे अक्सर विवाद होता रहता है। चूँकि उक्त विवादित भूमि मौका पर सयुक्तं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज [illegible] जिसका अभी तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 के मध्य खाता विभाजन नहीं हुआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हई है कि उक्त विवादित भूमि मे किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। इसलिए प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:47 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

एवं अप्रार्थी सं.–1 के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त .सिंचाई आदि को लेकर व अपने अपने हिस्सा अनसार राजस्व कर एवं सिंचाई कर आदि को लेकर हर समय विवाद रहता है तथा जिस सम्बधं में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 से कई बार कहा कि अपने सभी जने सहमत होकर तहसील मे चल कर अपने अपने हिस्सा अनुसार एवं भूमि की किस्म अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्से की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके ओर उसका उपयोग उपभोग कर सके लेकिन अप्रार्थी सं.–1 हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता जिस पर बिलआखिरकार आज से अरसा पांच रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 से अनुपगढ़ तहसील में चल कर भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बटंवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया तथा स्पष्ट कहा कि उसे बटंवारा की कोई जरूरत नहीं है प्रार्थीगण को जरूरत है तो वे करवा सकते है क्योंकि अर्प्राथी सं.–1 ज्यादा भूमि पर काश्त कर रहा है इसलिऐ वह किलेवाईज बटंवारा नहीं करना चाहता तथा अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थीगण को कहा कि वह शिघ्र ही बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ठ किलाजात की भूमि को अन्यत्र बैचान कर देगा व प्रार्थीगण के कब्जा में दखलन्दाजी कर प्रार्थीगण को भी काश्त नंही करने देगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 को समझाया मगर अप्रार्थी सं.–1 ने धमकी दी कि वह शिघ्र ही ऐसा करेगा आपने जो करना है कर लो। चूकिं प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सं.–1 के नाम बहिस्सा बराबर सयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 अपने हिस्सा से अधिक भूमि पर काश्त कर प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर कब्जा करना चाहता है और प्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा में दखलन्दाजी कर रहा है इसलिऐ प्रार्थीगण कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वे अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करे व उसी अनुसार सिंचाई सूविधा प्राप्त कर पानी लगाने लेकिन अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में दखलन्दाजी कर रहा है और विवावित भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्से की भूमि को विशिष्ट किलाजात में अन्यत्र बेचान करने के प्रयासरत है जिस सम्बध में अप्रार्थी सं.–1 ने यह स्पष्ट व एलानिया धमकी भी दी है प्रार्थीगण के कब्जा में दखलन्दाजी कर प्रार्थीगण को भी काश्त नंही करने देगा जबकि अप्रार्थी सं.–1 को ऐसा करने का विधिक अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. –1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 35 एपीडी तहसील अनूपगढ का खाता सं 55/59 का पत्थर सं.–339/417 के किला नं.–1/2 से 25 की कुल 5.755 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर सं.–339/421 मु.नं.–28 के किला नं.–1 ता 25 की कुल 6.315 हैक्टर कमाण्ड कुल 12.080 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी का बिना [illegible] रिकार्ड मे खाता विभाजन करवाये उक्त कृषि भूमि के किसी विशिष्ठ किला [illegible] का हस्तान्तरण रहन बैचान करने व रिकार्ड का किसी प्रकार से परिवर्तन करने व क[illegible] से तथा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के हिस्सा अनुसार उसके कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत करने व करवाने बाज वा[illegible]मू रहे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. –1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं–1 के पिता सुमेरसिंह को आवंटित हुई थी। वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा सुमेरसिंह के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:47 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

ग्राम धमोरा मे भी कृषि भूमि थी। वर्ष 1988 में सुमेरसिंह का देहांत होने के पश्चात प्रार्थीगण सं.–1, 3 वा 5 ने वादग्रस्त भूमि एवं ग्राम धमोरा की कृषि भूमि के संबंध मे हक त्याग कर दिया। जिस पर वादग्रस्त भूमि एवं ग्राम धमोरा की भूमि प्रार्थीगण सं.–2, 4 एवंम अप्रार्थी सं.–1 एवं हमारी माता गुलाब कवंर चारों को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। हक त्याग के आधार पर गांव धमोरा की कृषि भूमि तो हम चारों के नाम से दर्ज हो गई परन्तु प्रार्थीगण ने बाद मे हक त्याग के दस्तावेज को छुपाते हऐ वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवंम अप्रार्थी सं.–1 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करवा ली जो कि झूठे एवं मिथ्या दस्तावेजो के आधार पर दर्ज की गई है। प्रार्थीगण सं.–1, 3 वा 5 का वादग्रस्त भमि मे कोई हिस्सा नही है। अप्रार्थी सं.–1 वर्षो से वादग्रस्त भूमि में से 12–10 बीघा भूमि पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा था पिछले दो वर्षो से 16–1 बीघा पर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण ने जानबूझ कर बेईमानी पूर्वक आश्य से प्रार्थीगण सं–1, 3 वा 5 द्वारा किऐ गऐ हक त्याग के दरतावेज को छुपा कर इंतकाल दर्ज करवा लिया। प्रार्थीगण सं 1, 3 वा 5 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। इंतकाल की कार्यवाही के आधार पर कब्जा करने के आश्य से प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण सं.–1, 3 वा 5 अपने हिस्से का हक त्याग कर चुके हैं इस कारण उनके कोई हित प्रभावित नही हो रहे है व ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण सं.–1, 3 वा 5 ने अपने पिता सुमेरसिंह की मृत्यु के पश्चात विवादित कषि भूमि धमोरा की भूमि के संबंध मे अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था उसी आधार पर ग्राम धमोरा की कृषि भूमि प्रार्थीगण सं.–2, 4 एंवम अप्रार्थी सं.–1 व हमारी माता गुलाब कवंर के नाम से दर्ज हो गई थी। चूकिं वादग्रस्त भूमि सुरेन्द्रसिंह ही ठेका/हिस्सा पर देकर जाता था उसने अप्रार्थी सं.–1 को बताया कि चक 35 एपीडी वाली भूमि का इंतकाल हम तीनों भाईयों व माता के नाम से दर्ज हो चुंका है इसी कारण सुरेन्द्रसिंह मुझ अप्रार्थी सं.–1 को 12–10 बीघा का ठेका देता रहा। हमारी माता के देहांत के बाद मुझ अप्राथी ने सुरेन्द्रसिंह से तीसरे हिस्से यानि आधा बीघा का ठेका मांगा तो वह मुझ अप्रार्थी सं.–1 से झगडा करने लगा जिस पर मुझ अप्रार्थी सं.–1 ने पिछले अपनी 16–10 बीघा भूमि स्वंय काश्त करनी शुरू कर दी। जिस पर सुरेन्द्रसिंह ने अन्य प्रार्थीगण को अपने प्रभाव मे लेकर हक त्याग के दसतावेजो को छुपाते हुऐ भूमि का बहिरसा बरावर विरासतन इंतकाल दर्ज करवा कर झूठे वादग्रस्त तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है चूंकि प्राथीगण सं.–1, 3 वा 5 अपने हिस्से का हक त्याग कर चुकी है इस कारण वे किसी प्रकार का वादग्रसत भूमि मे हक प्राप्त करने एवंम बंटवारा करवाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थन पत्र एव वकालतनामा मे सुरेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर नही है इस कारण प्रार्थना पत्र काबिले निररती के है। प्रार्थीगण सं.–1, 3 वा 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में किए गए हक त्याग के दस्तावेज प्राथीगण के कब्जा मे है जिसे उन्होने [illegible] यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] का प्रार्थना पत्र मय दर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीया के जवाब एव [illegible] जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:47 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीगण का हित निहित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थी को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण सं.–1, 3 वा 5 अपने हिस्से का हक त्याग कर चुके है इस कारण वे किसी प्रकार का वादग्रस्त भूमि मे हक प्राप्त करने एवंम बंटवारा करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थन पत्र एवं वकालतनामा मे सुरेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर कही नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नहीं है। तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थी जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनि[illegible] किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/03/2[illegible] को सरे इजला[illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:47 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्रीगंगानगर